

अध्याय

3.

राजनीतिक संरचना

- राज्यों का संघ भारत एक धर्म निरक्षेप लोकतांत्रिक गणराज्य है जिसमें शासन की संसदीय प्रणाली है।
- यह गणराज्य 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत एवं 26 जनवरी, 1950 से लागू संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार प्रशासित होता है।
- संसदीय सरकार के संविधान का ढांचा एकात्मक विशेषताओं के साथ संघात्मक भी है।
- भारत के राष्ट्रपति केंद्र की कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख भी होते हैं।

भारत में 29 राज्य और सात केंद्रशासित प्रदेश

29 राज्य	<input type="checkbox"/> आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।
7 केंद्र शासित प्रदेश	<input type="checkbox"/> अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, लक्षद्वीप और पुडुचेरी।

- संविधान का अनुच्छेद 74 (1) यह निर्दिष्ट करता है कि कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता करने और उन्हें परामर्श देने के लिए प्रधान मंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी और राष्ट्रपति उसके परामर्श से ही कार्य करेंगे।
- इस प्रकार कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित मंत्रिपरिषद में निहित होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति भी उत्तरदायी है।
- इसी प्रकार राज्यों में राज्यपाल की स्थिति कार्यपालिका के

प्रधान की होती है परंतु, वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद में निहित होती है।

- किसी राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उस राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
- संविधान में विधायी शक्तियां संसद एवं विधानसभाओं में विभाजित की गई हैं तथा शेष शक्तियां संसद को प्राप्त हैं। संविधान में संशोधन का अधिकार भी संसद को ही प्राप्त है।
- संविधान में न्यायपालिका, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोगों और मुख्य निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता बनाए रखने का प्रावधान है।

नागरिकता

- संविधान में संपूर्ण भारत के लिए एक समान नागरिकता की व्यवस्था की गई है।
- ऐसा प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक माना गया है। जो संविधान लागू होने के दिन (26 जनवरी, 1950 को) भारत स्थायी रूप से रहता हो; और जो भारत में पैदा हुआ हो। या जिसके माता-पिता में से एक भारत में पैदा हुआ है। अथवा जो सामान्यतया कम से कम पांच वर्ष से भारतीय क्षेत्र में रह रहा हो।
- नागरिकता अधिनियम, 1955 में लागू होने के बाद नागरिकता ग्रहण करने, निर्धारित करने तथा समाप्त करने के संबंध में प्रावधान किए गए हैं।

मौलिक अधिकार

मौलिक अधिकार

समानता का अधिकार (अनु. 14-18)

स्वतंत्रता का अधिकार (अनु. 19-22)

शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनु. 23-24)

धर्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनु. 25-28)

संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनु. 29-30)

संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनु. 32)

- संविधान में सभी नागरिकों के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कुल बुनियादी स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है। मोटे तौर पर संविधान में छह प्रकार की स्वतंत्रता की मौलिक अधिकारों के रूप में गण्ठी दी गई है, जिनकी सुरक्षा के लिए न्यायालय की शरण ली जा सकती है।
- संविधान के तीसरे भाग, अनुच्छेद 12 से 35 तक, में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है।

राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांत

- संविधान में निहित राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांत यद्यपि न्यायालयों द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, तथापि वे 'देश के प्रशासन का मूल आधार हैं' और सरकार का यह कर्तव्य है कि वह कानून बनाते समय इन सिद्धांतों का पालन करे। ये सिद्धांत संविधान के भाग चार के अनुच्छेद 36 से 51 में दिए गए हैं।
- उनमें कहा गया है—सरकार ऐसी प्रभावी सामाजिक व्यवस्था कायम करके लोगों के कल्याण के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगी जिससे राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय का पालन हो।

नीति निदेशक सिद्धांतों से संबंधित अनुच्छेद संख्या		विषय-वस्तु
36.	राज्य की परिभाषा	
37.	इस भाग में समाहित सिद्धांतों को लागू करना	
38.	राज्य द्वारा जन-कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना	
39.	राज्य द्वारा अनुसरण किये जाने वाले कुछ नीति-सिद्धांत	
39.A	समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता	
40.	ग्राम पंचायतों का संगठन	
41.	कुछ मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा सार्वजनिक सहायता	
42.	न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान	
43.	कर्मचारियों को निर्वाह वेतन आदि	
43.A	उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों को सहभागिता	
43.B	सहकारी समितियों को प्रोत्साहन	
44.	नागरिकों के लिए समान नागरिक सहिता	
45.	बालपन-पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा	

46.	अनु. जाति, अनु. जनजाति का कमज़ोर वर्गों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना
47.	पोषाहार का स्तर बढ़ाने, जीवन स्तर सुधारने तथा जन-स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर करने संबंधी सरकार का कर्तव्य
48.	कृषि एवं पशुपालन का संगठन
48.A	पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्द्धन तथा वन एवं अन्य जीवों की सुरक्षा
49.	स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण
50.	न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव
51.	अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन

मौलिक कर्तव्य

- 1976 में संविधान में हुए 42वें संशोधन के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है।
- ये कर्तव्य संविधान के भाग चार 'ए' के अनुच्छेद 51 (क) में दिए गए हैं जो निम्नलिखित हैं:

मौलिक कर्तव्य: अनुच्छेद 51(क)	
१.	विदित हो कि स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। जो इस प्रकार हैं—
२.	स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें।
३.	भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें।
४.	देश की रक्षा करें और आहवान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें।
५.	भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हों, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें, जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं।
६.	हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें।

7.	प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत बन, झील, नदी और बन्ध जीव हैं, की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणिमात्र के प्रति दया भाव रखें।
8.	वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें।
9.	सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिसा से दूर रहें।
10.	व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाईयों को छू ले।
11.	6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना।

☞ **नोट:** यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 के द्वारा जोड़ा गया।

संघ

कार्यपालिका

- ☞ संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद (52-78) तक संघ की कार्यपालिका का संस्करण है।
- ☞ कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होती है जो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देती है।

राष्ट्रपति

- ☞ राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल हस्तांतरणीय मत के द्वारा करते हैं।
- ☞ इस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों तथा राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं।
- ☞ राज्यों के बीच आपस में समानता तथा राज्यों और केंद्र के बीच समानता बनाए रखने के लिए प्रत्येक मत को उचित महत्व दिया जाता है।
- ☞ राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से भारत का नागरिक, कम से कम 35 वर्ष की आयु का तथा लोकसभा का सदस्य बनने का पात्र होना चाहिए।
- ☞ राष्ट्रपति का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है तथा पुनः निर्वाचित किया जा सकता है।
- ☞ संविधान के अनुच्छेद-61 में निहित प्रक्रिया द्वारा उन्हें पद

से हटाया जा सकता है। वह उप राष्ट्रपति को संबंधित स्व-हस्तालिखित पत्र द्वारा पद त्याग कर सकते हैं।

- ☞ कार्यपालिका के समस्त अधिकार राष्ट्रपति में निहित हैं। वह इनका उपयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ सरकारी अधिकारियों द्वारा करते हैं। रक्षा सेनाओं की सर्वोच्च कमान भी राष्ट्रपति के पास होती है।

राष्ट्रपति को प्रदत्त संवैधानिकाधिकार

- राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने, उसका सत्रावसान करने।
- संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने, लोकसभा को भंग करने।
- दोनों अधिवेशन काल को छोड़कर किसी भी समय अध्यादेश जारी करने।
- बजट तथा वित्त विधेयक प्रस्तुत करने की सिफारिश करने।
- विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करने।
- क्षमादान देने।
- दंड रोकने अथवा उसमें कमी या परिवर्तन करने या कुछ मामलों में दंड को स्थगित करने।
- छूट देने या दंड को बदलने के अधिकार प्राप्त हैं।
- किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था के विफल हो जाने पर राष्ट्रपति उस सरकार के संपूर्ण या कोई भी अधिकार अपने हाथ में ले सकते हैं।

भारत के राष्ट्रपति

नाम	अवधि
डॉ. राजेंद्र प्रसाद (1884-1963)	26 जनवरी, 1950-13 मई, 1962
डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन (1888-1975)	13 मई, 1962-13 मई, 1967
डॉ. जाकिर हुसैन (1897-1969)	13 मई, 1967 -03 मई, 1969
वराहगिरि वेंकट गिरि (1894-1980) (कार्यवाहक)	03 मई, 1969-20 जुलाई, 1969
न्यायमूर्ति मुहम्मद हिदायतुल्लाह (1905-1992) (कार्यवाहक)	20 जुलाई, 1969-24 अगस्त, 1969
वराहगिरि वेंकट गिरि (1894-1980)	24 अगस्त, 1969-24 अगस्त, 1974
डॉ. फखरुद्दीन अली अहमद (1905-1977)	24 अगस्त, 1974-11 फरवरी, 1977

बी.डी. जत्ती (1912-2002) कार्यवाहक)	11 फरवरी, 1977-25 जुलाई, 1977
नीलम संजीव रेड्डी (1913-1996)	25 जुलाई, 1977-25 जुलाई, 1982
ज्ञानी जैल सिंह (1916-1994)	25 जुलाई, 1982-25 जुलाई, 1987
आर. वेंकटरमन (1910-2009)	25 जुलाई, 1987-25 जुलाई, 1992
डॉ. शंकर दयाल शर्मा (1918-1999)	25 जुलाई, 1992-25 जुलाई, 1997
के.आर. नारायणन (1920-2005)	25 जुलाई, 1997-25 जुलाई, 2002
डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम (1931-2015)	25 जुलाई, 2002-25 जुलाई, 2007
श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल (जन्म 1934)	25 जुलाई, 2007-25 जुलाई, 2012
श्री प्रणब मुखर्जी (जन्म 1935)	25 जुलाई, 2012-25 जुलाई, 2017
श्री रामनाथ कोविंद (जन्म 1945)	25 जुलाई, 2017 से अब तक

उप-राष्ट्रपति से संबंधित बिंदु

- उप राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा एक निर्वाचक मंडल के सदस्य करते हैं।
- निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। उप राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से भारत का नागरिक, कम से कम 35 वर्ष की आयु का और राज्य सभा का सदस्य बनने का पात्र होना चाहिए।
- उनका कार्यकाल पांच वर्ष का होता है और उन्हें इस पद पर पुनः निर्वाचित भी किया जा सकता है।
- संविधान के अनुच्छेद-67 (ख) में निहित कार्यविधि द्वारा उन्हें पद से हटाया जा सकता है।
- उप राष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, जब राष्ट्रपति अस्वस्थ्य या किसी अन्य कारण से अपना कार्य करने में असमर्थ हों या जब राष्ट्रपति की मृत्यु अथवा पद त्याग या पद से हटाए जाने के कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया हो, तब छह महीने के भीतर नया राष्ट्रपति चुने जाने तक वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं।

भारत के उप-राष्ट्रपति	
नाम	अवधि
डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन (1888-1975)	13 मई, 1952- 12 मई, 1962
डॉ. जाकिर हुसैन (1897-1969)	13 मई, 1962-12 मई, 1967
वराहगिरि वेंकट गिरि (1894-1980)	13 मई, 1967-3 मई, 1969
गोपाल स्वरूप पाठक (1896-1982)	31 अगस्त, 1969-30 अगस्त, 1974
बी.डी. जत्ती (1912-2002)	31 अगस्त, 1974-30 अगस्त, 1979
न्यायमूर्ति मुहम्मद हिदायतुल्लाह (1905-1992)	31 अगस्त, 1979-30 अगस्त, 1984
आर. वेंकटरमन (1910-2009)	31 अगस्त, 1984-24 जुलाई, 1987
डॉ. शंकर दयाल शर्मा (1918-1999)	3 सितंबर, 1987-24 जुलाई, 1992
के.आर. नारायणन (1920-2005)	21 अगस्त, 1992-24 जुलाई, 1997
कृष्णाकांत (1927-2002)	21 अगस्त, 1997-21 जुलाई, 2002
भैरों सिंह शेखावत (1923-2010)	19 अगस्त, 2002-21 जुलाई, 2007
श्री मोहम्मद हामिद अंसारी (जन्म 1937)	11 अगस्त, 2007-10 अगस्त, 2017
श्री एम. वेंकेया नायडू (जन्म 1949)	11 अगस्त, 2017 से अब तक

मंत्रिपरिषद्

- कार्य-संचालन में राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उन्हें परामर्श देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद् की व्यवस्था है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के परामर्श से करते हैं।

विधायिका

- संघ की विधायिका को 'संसद' कहा जाता है। इसमें राष्ट्रपति, दोनों सदन (लोकसभा तथा राज्यसभा) शामिल हैं। संसद के दोनों सदनों की बैठक पिछली बैठक के छह महीने के भीतर बुलानी होती है। कुछ अवसरों पर दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन किया जा सकता है।

राज्यसभा

- ➲ राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा आदि के क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं।
- ➲ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के चुने हुए सदस्यों की संख्या 238 से अधिक नहीं होगी।
- ➲ राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन कहा जाता है। सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है।

लोकसभा

- लोकसभा को संसद का निम्न सदन कहा जाता है इसके सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर भारत के नागरिकों द्वारा सीधे चुने जाते हैं।
- संविधान में लोकसभा के सदस्यों को अधिकतम संख्या 552 है जिसमें 530 सदस्य राज्यों का जबकि 20 सदस्य केंद्रशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं एवं राष्ट्रपति को आंग्ल-भारतीय समुदाय के दो व्यक्तियों को उस स्थिति में मनोनीत करने का अधिकार है, जब उन्हें ऐसा लगे कि सदन में इस समुदाय के सदस्यों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला।
- लोक सभा का कार्यकाल उसकी पहली बैठक से 5 वर्ष का होता है।
- लोकसभा के लिए विभिन्न राज्यों की सदस्य संख्या का निर्धारण इस प्रकार किया जाता है कि राज्य के लिए निर्धारित सदस्यों की संख्या और उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात जहाँ तक संभव हो, सभी राज्यों में समान हो।
- वर्तमान लोकसभा के 543 सदस्य हैं। इनमें से 530 सदस्य राज्यों से और 13 सदस्य केंद्रशासित प्रदेशों से सीधे चुने गए हैं।
- 84वें संविधान संशोधन विधेयक 2001 के तहत विभिन्न राज्यों में लोकसभा की वर्तमान सीटों की कुल संख्या का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है तथा 2026 के बाद की जाने वाली जनगणना तक इसमें कोई फेर-बदल नहीं किया जाएगा।
- लोकसभा का कार्यकाल, यदि उसे भंग न किया जाये, सदन की पहली बैठक को लेकर पांच वर्ष होता है। किंतु यदि आपातस्थिति लागू हो तो यह अवधि संसद द्वारा कानून बनाकर बढ़ाई जा सकती है।
- ➲ राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्यों द्वारा एकल हस्तांतरणीय मत के आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से

किया जाता है।

- ➲ राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती और उसके एक तिहाई सदस्य हर दो वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण करते हैं। राज्यवार राज्यसभा में सीटों का वितरण करते हैं।

संसद की सदस्यता के लिए योग्यताएं

- ➲ संसद का सदस्य होने के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है।
- ➲ लोकसभा के लिए कम से कम 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए कम-से-कम 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए। अतिरिक्त योग्यताएं संसद कानून बनाकर निर्धारित कर सकती है।

संसद के कार्य और अधिकार

- ➲ अन्य संसदीय लोकतंत्रों की भाँति भारत की संसद को भी कानून बनाने, प्रशासन की देख-रेख, बजट पारित करने, लोगों की कठिनाइयों को दूर करने और विकास योजनाओं, राष्ट्रीय नीतियों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों जैसे विषयों पर चर्चा करने का अधिकार है।
- ➲ संसद कुछ परिस्थितियों में ऐसे विषयों के विधायी अधिकार भी प्राप्त कर सकती है, जो अन्यथा राज्यों के लिए सुरक्षित हैं।
- ➲ संसद को राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त और नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक को संविधान की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उनके पदों से हटाने का अधिकार प्राप्त है।

संसद में विपक्ष के नेता

- ➲ राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेताओं को वैधानिक मान्यता दी गई है।
- ➲ 1 नवंबर, 1977 से लागू एक पृथक कानून के अंतर्गत उन्हें वेतन तथा कुछ अन्य सुविधाएं दी जाती हैं।


संसद में सरकारी कामकाज

- ➲ संसदीय कार्यमंत्री को संसद के दोनों सदनों में सरकारी कामकाज को समन्वित करने, उसकी योजना बनाने और तत्संबंधी व्यवस्था करने का दायित्व दिया गया है।


सलाहकार समितियां

- ➲ भारत सरकार (कामकाज का आवटन) नियम, 1961 के अंतर्गत संसदीय कार्य मंत्रालय को आवंटित कार्यों में से एक, विभिन्न मंत्रालयों के लिए संसदीय सलाहकार समितियों का कार्य है।
- ➲ सलाहकार समिति की न्यूनतम सदस्यता 10 और अधिकतम सदस्यता 30 है।

भारत में राज्यसभा सीटों का विवरण



भारत में लोकसभा सीटों का विवरण



युवा संसद प्रतियोगिता

- ⦿ युवाओं का लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से अवगत कराने के लिए मंत्रालय विभिन्न श्रेणियों के विद्यालयों और कॉलेजों/विश्वविद्यालयों के स्तर पर युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन करता है।
- ⦿ युवा संसद प्रतियोगिता आयोजित कराने की यह योजना सबसे पहले 1966-67 में दिल्ली के विद्यालयों में लागू की गई थी।
- ⦿ राष्ट्रीय स्तर पर 1988 में केंद्रीय विद्यालयों में एक अलग योजना के रूप में इसे शुरू किया गया।
- ⦿ इसी तरह 1997-98 में दी नई योजनाओं के अंतर्गत युवा संसद प्रतियोगिता लागू की गई, एक जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए और दूसरी विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के लिए।

विशेष उल्लेख के अंतर्गत मामले

- ⦿ संसदीय कार्य मंत्रालय लोकसभा में कार्यविधि और कार्यवाही के संचालन संबंधी नियमों के नियम 377 और राज्यसभा में विशेष उल्लेख के अंतर्गत उठाए गए विषयों पर अनुवर्ती कार्यवाही करता है।
- ⦿ लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद 12 बजे दोपहर में सदस्य सार्वजनिक महत्व के जरूरी विषय उठाते हैं।
- ⦿ राज्यसभा में सदस्य सार्वजनिक महत्व के जरूरी विषय प्रातः 11 बजे उठाते हैं।
- ⦿ मंत्रीगण कभी-कभी सदस्यों द्वारा इंगित बिंदुओं पर प्रतिक्रिया देते हैं, यद्यपि यह अनिवार्य नहीं है।
- ⦿ संबंधित मंत्री की अनुपस्थिति में संसदीय कार्यमंत्री सदन अथवा सदस्य को आश्वासन देते हैं कि संबंधित मंत्री को उनकी भावनाओं से अवगत करा दिया जाएगा।

नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक

- ⦿ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की व्यवस्था की गई है, जो अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होता है।
- ⦿ नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- ⦿ इसे पद से हटाने के लिए वही कार्यविधि अपनाई जाती है, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए होती है।
- ⦿ अपना पद छोड़ने के बाद वह केंद्र या राज्य सरकार में कोई और नौकरी नहीं कर सकता है।
- ⦿ केंद्र और राज्यों का लेखा-जोखा, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक

की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित प्रारूप में रखा जाएगा।

- ⦿ नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा केंद्र के लेखा-जोखा की रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास भेजी जाएगी, जो इसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत कराएंगे।
- ⦿ नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा राज्यों के लेखा-जोखा की रिपोर्ट संबंधित राज्य के राज्यपाल के पास भेजी जाएगी, जो इसे विधान सभा में प्रस्तुत कराएंगे।

प्रशासनिक ढांचा

- ⦿ भारत सरकार के कार्यों का आवंटन करने के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 77 के अंतर्गत भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 बनाए गए हैं।
- ⦿ इन नियमों के अंतर्गत ही प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों का गठन किया जाता है।
- ⦿ इन मंत्रालयों/विभागों, सचिवालयों और कार्यालयों में भारत सरकार के कार्यों का संचालन इन नियमों में निर्दिष्ट विषयों के वितरण के अनुसार होता है।
- ⦿ प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रियों के कार्यों का बटवारा करते हैं।
- ⦿ प्रत्येक विभाग आमतौर पर एक सचिव के अधीन होता है, जो नीतिगत मामलों और सामान्य प्रशासन के बारे में मंत्री की मदद करता है।

मंत्रिमंडल सचिवालय

- ⦿ मंत्रिमंडल सचिवालय प्रत्यक्षतः प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है।
- ⦿ इसका प्रशासनिक प्रमुख केबिनेट सचिव होता है जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है।
- ⦿ केबिनेट सचिवालय का कार्य होता है। मंत्रिमंडल तथा मंत्रिमंडल समितियों को सचिवालय सहयोग और कार्य नियम।
- ⦿ केबिनेट (मंत्रिमंडल) सचिवालय भारत सरकार (कार्यकरण) नियम, 1961 और भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता है, जिसमें वह सरकार के मंत्रालय/विभागों में इन नियमों का पालन करते हुए सुचारू रूप से कार्य संचालन की सुविधा प्रदान करता है।
- ⦿ विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय करते हुए और मंत्रालयों/विभागों के बीच मतभेदों को दूर करते हुए यह सचिवालय सरकार को निर्णय लेने में मदद करता है और सचिवों की स्थायी/तदर्थ समितियों के जरिए आपस में सहमति बनाए रखता है।

- ➲ केबिनेट सचिवालय यह सुनिश्चित करता है कि सभी मंत्रालयों/विभागों की प्रमुख गतिविधियों के बारे में हर महीने एक सारांश बनाकर राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति और सभी मंत्रियों को उससे अवगत कराया जाए।
- ➲ देश में किसी बड़े संकट के समय उसका प्रबंधन करना तथा ऐसी परिस्थितियों में विभिन्न मंत्रालयों की गतिविधियों में समन्वय स्थापित करना भी केबिनेट सचिवालय का काम है।
- ➲ सभी सचिव समय-समय पर गतिविधियों के बारे में केबिनेट सचिव को सूचित करते हैं।
- ➲ कार्यकरण नियमों के संचालन के लिए भी यह आवश्यक है कि समय-समय पर विभिन्न गतिविधियों के बारे में विशेषकर यदि कहीं नियमों का पालन नहीं हो रहा हो तो उसके बारे में केबिनेट सचिव को सूचित किया जाए।

सरकार के मंत्रालय/विभाग

- ➲ सरकार के कई मंत्रालय/विभाग होते हैं। इनकी संख्या समय-समय पर इस बात पर निर्भर करती है कि काम कितना है तथा किस मामले को कितना महत्व दिया जा रहा है।

मंत्रालयों/विभागों की सूची	
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	<p>कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग</p> <p>कृषि, अनुसंधान और शिक्षा विभाग</p> <p>पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग</p>
आयुष (आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) मंत्रालय	
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	
	<p>रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग</p> <p>उर्वरक विभाग</p> <p>औषध विभाग</p>
नागर विमानन मंत्रालय	
कोयला मंत्रालय	
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	<p>(i) वाणिज्य विभाग</p> <p>(ii) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग</p>
संचार मंत्रालय	<p>(i) ट्रॉसंचार विभाग</p> <p>(ii) डाक विभाग</p>
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	<p>(i) उपभोक्ता मामले विभाग</p> <p>(ii) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग</p>

रक्षा मंत्रालय	<p>(i) रक्षा विभाग</p> <p>(ii) रक्षा उत्पादन विभाग</p> <p>(iii) रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग</p> <p>(iv) पूर्व सेनानी कल्याण विभाग</p> <p>अ. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय</p> <p>ब. पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय</p>
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	<p>अ. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय</p>
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	<p>अ. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय</p> <p>ब. संस्कृति मंत्रालय</p>
विदेश मंत्रालय	
वित्त मंत्रालय	<p>(i) आर्थिक कार्य विभाग</p> <p>(ii) व्यय विभाग</p> <p>(iii) राजस्व विभाग</p> <p>(iv) निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग</p>
वित्तीय सेवाएं विभाग	
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	<p>(i) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग</p> <p>(ii) स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग</p>
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय	<p>(i) भारी उद्योग विभाग</p> <p>(ii) लोक उद्यम विभाग</p>
गृह मंत्रालय	<p>(i) आंतरिक सुरक्षा विभाग</p> <p>(ii) राज्य विभाग</p> <p>(iii) राजभाषा विभाग</p> <p>(iv) गृह विभाग</p> <p>(v) जम्मू-कश्मीर विभाग</p> <p>(vi) सीमा प्रबंधन विभाग</p> <p>(v) आवास और शहरी कार्य मंत्रालय</p> <p>अ. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय</p> <p>आ. खान मंत्रालय</p> <p>ब. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय</p>
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	<p>(i) स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग</p> <p>(ii) उच्चतर शिक्षा विभाग</p>
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	
श्रम और रोजगार मंत्रालय	

विधि और न्याय मंत्रालय	(i) विधि कार्य विभाग (ii) विधायी विभाग (iii) न्याय विभाग
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	
पंचायती राज मंत्रालय	
संसदीय कार्य मंत्रालय	
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय	(i) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (ii) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (iii) पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	
योजना मंत्रालय	
विद्युत मंत्रालय	
रेल मंत्रालय	
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	
ग्रामीण विकास मंत्रालय	(i) ग्रामीण विकास विभाग (ii) भूमि संसाधन विभाग
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	(i) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (ii) विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (iii) बायोटेक्नोलॉजी विभाग
पोत परिवहन मंत्रालय	
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	(i) सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (ii) दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	
इस्पात मंत्रालय	
वस्त्र मंत्रालय	
पर्यटन मंत्रालय	
जनजातीय कार्य मंत्रालय	
शहरी विकास मंत्रालय	आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	
महिला और बाल विकास मंत्रालय	

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	(i) युवा कार्यक्रम विभाग (ii) खेल विभाग
केंद्र सरकार के स्वतंत्र विभाग	परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग
प्रमुख स्वतंत्र कार्यालय	नीति आयोग
	मन्त्रिमंडल सचिवालय
	राष्ट्रपति सचिवालय
	प्रधानमंत्री कार्यालय

परियोजना निगरानी समूह

- ⦿ परियोजना निगरानी समूह (PMG) विभिन्न मुद्दों जिनमें बढ़ी सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) जैसी परियोजनाओं को लगाने तथा शीघ्र चालू करने हेतु त्वरित अनुमोदन शामिल हैं, के निपटारे के लिए एक संस्थागत व्यवस्था है।
- ⦿ परियोजना निगरानी समूह की स्थापना 2013 में केबिनेट सचिवालय के अधीन की गई थी।
- ⦿ वर्तमान में परियोजना निगरानी समूह 2015 से प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य कर रहा है।
- ⦿ निवेशकों द्वारा दिए गए आवेदनों के यथासमय निपटान को सुनिश्चित करने के प्रयास के तौर पर PMG अपने वेब पोर्टल ई-निवेश मॉनीटर (enivesh.gov.in) के माध्यम से सभी मंत्रालयों और विभागों के विभिन्न ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के विकास और संचालन की निगरानी कर रहा है।
- ⦿ यह प्रणाली विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा विभिन्न प्रकार की स्वीकृतियों के ऑनलाइन प्रस्ताव बनाने और उनके निस्तारण में हुई प्रगति का पता लगाती है।
- ⦿ यह पोर्टल सभी मंत्रालयों/विभागों के विभिन्न ऑनलाइन केंद्रीय सेवाओं/स्वीकृति पोर्टल्स से सूचना एकत्रित कर ऑनलाइन आवेदन जमा करने से लेकर उसकी स्वीकृति जारी होने तक के डिजिटलीकृत प्रस्तावों की जांच करता है।

लोक शिकायत

- ⦿ लोक शिकायत निदेशालय (DPG) की स्थापना लोक शिकायतों का संतोषजनक समाधान समय सीमा में संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा नहीं हो पाने के मद्देनजर इनके निराकरण हेतु वर्ष 1988 में की गई थी।
- ⦿ अतः DPG अपने कार्यक्षेत्र में आने वाले क्षेत्र से संबंधित शिकायतों के निराकरण हेतु अंतिम पड़ाव के रूप में कार्य करता है।

- ➲ DPG के पास शिकायतें डाक द्वारा, ई-मेल अथवा पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज कराई जा सकती हैं। ऑफलाइन द्वारा प्राप्त सभी मामलों को सिस्टम में डालने के बाद पीजीएआरएमएस (PGARMS) एप्लीकेशन का प्रयोग कर कार्रवाई की जाती है।
- ➲ प्रत्येक शिकायत को पहले डीपीजी के कार्यक्षेत्र में आने वाले मामलों के आधार पर छाना जाता है।
- ➲ DPG के कार्यक्षेत्र से बाहर क्षेत्रों से संबंधित मामलों को प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग में उचित निष्पादन हेतु भेज दिया जाता है तथा इसकी सूचना शिकायकर्ता को दी जाती है।
- ➲ शेष शिकायतों में मामले की गंभीरता देखी जाती है और देखा जाता है कि क्या संबंधित मंत्रालय/विभाग को शिकायत के निराकरण हेतु अवसर दिया गया है?
- ➲ गंभीर प्रकृति की शिकायतों को, जो या तो बहुत अधिक समय से लंबित है अथवा संबंधित सेवा संगठन/मंत्रालय से जिनका निराकरण नहीं हो रहा है, विस्तृत जांच के लिए हाथ में लिया जाता है।
- ➲ इन मामलों का अनुसरण उनके तर्कसंगत एवं उचित निर्णय होने तक किया जाता है। अन्य मामलों को संबंधित मंत्रालय के पास समुचित कार्रवाई हेतु भेज दिया जाता है।
- ➲ DPG द्वारा टिप्पणी मांगे जाने पर विभाग या संगठन से अपेक्षित है कि वे मामले की जांच करके 30 दिनों के भीतर उसका जवाब भेज दें।
- ➲ मामले को बंद करने से पहले शिकायतकर्ता से उसकी शिकायत के संतोषजनक निपटारे की सहमति प्राप्त की जा सकती है।
- ➲ अपने शुरुआती दिनों से ही डीपीजी अपने कार्यों का निरंतर कम्प्यूटरीकरण कर रहा है।
- ➲ DPG हेतु एक विशिष्ट स्वचलन कार्यक्रम, लोक शिकायतें निस्तारण एवं निगरानी प्रणाली (PGARMS) को 1999 में ही अपना लिया गया था।
- ➲ (PGARMS) को अब सभी मंत्रालयों/विभागों के लिए अपनाये गए केंद्रीकृत लोक शिकायतें निस्तारण एवं निगरानी प्रणाली (CPGRMS) में समाहित कर लिया गया है।
- ➲ निराकरण प्रणाली में और अधिक सुधार लाने के लिए वर्ष 2016-17 से कुछ और उपाय भी शुरू किए गए हैं। जिसमें PGARMS का प्रभाव क्षेत्र बढ़ने के लिए इसका हिंदी संस्करण शुरू करना, शिकायकर्ता से बेहतर संवाद और संपर्क के लिए e-mail/SMS जैसी सुविधाओं का समावेश करने तथा DPG के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए समाचारपत्रों में विज्ञापन देना शामिल है।

लोक प्रशासनिक कार्यों में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार

- ➲ केंद्र एवं राज्य सरकारों के अधिकारियों के असाधारण तथा अभिनव कार्यों को पहचान एवं उन्हें पुरस्कृत करने के लिए भारत सरकार ने लोक प्रशासनिक कार्यों में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रारंभ किए हैं।
- ➲ इसके अंतर्गत लोक सेवकों के उत्कृष्ट और आदर्श कार्यों को पुरस्कृत किया जाता है।
- ➲ वर्ष 2007 में प्रारंभ से अब तक 3 श्रेणियों-व्यक्तिगत, सामूहिक एवं विभागीय के अंतर्गत 67 पुरस्कार दिए गए हैं।
- ➲ वर्ष 2015-16 में प्राथमिकता कार्यक्रमों के उत्कृष्ट क्रियान्वयन की एक नई श्रेणी शुरू की गई।

लोक सेवा दिवस

- ➲ भारत सरकार द्वारा प्रति वर्ष 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें लोक सेवा अधिकारी नागरिक हितों के प्रति अपनी निष्ठा एवं कार्यों में उत्कृष्टता के प्रति समर्पण को दोहराते हैं।
- ➲ ऐसा पहला आयोजन 21 अप्रैल, 2006 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया था।

अंतर्राष्ट्रीय आदान-प्रदान एवं सहयोग

- ➲ विभाग लोक प्रशासन एवं शासन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से जुड़े मामलों के लिए प्रमुख (नोडल) केंद्र है।
- ➲ इसके कार्यों में भारत और अन्य देशों के बीच (द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय) समझौता/समझौता ज्ञापन (MoU) के तहत परियोजनाओं/द्विपक्षीय उपायों से संबंधित हिस्से के रूप में कार्यक्रमों का आयोजन शामिल है।
- ➲ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग घटक का उद्देश्य राष्ट्रीय सरकार की सूचनाओं, सर्वोत्तम अनुभवों और कार्मिकों को आदान-प्रदान में सक्षम बनाना है।
- ➲ अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रयोजनों के तहत विभाग ने प्रशासनिक अनुभवों तथा आदान-प्रदान की संभावनाओं का पता लगाया है और ब्रिटेन, फ्रांस, सिंगापुर, मलेशिया, चीन के साथ द्विपक्षीय और दक्षिण अफ्रीका एवं ब्राजील के साथ (IBSA) के तहत त्रिपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।
- ➲ इनमें लोक प्रशासन और सेवा वितरण के क्षेत्र में कार्यक्रमों/परियोजनाओं तथा गतिविधियों का दायित्व शामिल है ताकि शासन की वर्तमान व्यवस्था में सुधार हो और जवाबदेही, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता की बेहतर भावना पैदा हो सके तथा लोक सेवा वितरण,

सुशासन, लोक सेवा में सुधार, क्षमता निर्माण और गुणवत्ता उन्नयन के परिप्रेक्ष्य में लोक सेवा में उत्कृष्टता प्राप्त हो सके।

राष्ट्रमंडल लोक प्रशासन एवं प्रबंधन केंद्र के साथ सहयोग

- ➲ राष्ट्रमंडल लोक प्रशासन एवं प्रबंधन केंद्र (CAPAM) समूचे राष्ट्रमंडल में लोकप्रबंधन, लोकतंत्र एवं सुशासन को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध संगठन है। इसका मुख्यालय कनाडा के ओटावा में है।
- ➲ भारत सरकार का कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय 1997 में (CAPAM) का संस्थागत सदस्य बना।
- ➲ इस संस्था का सदस्य बनने से भारत सरकार (CAPAM) द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय नवाचार पुरस्कार कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय नवाचार सोपान कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय बैठकों, विचार गोष्ठियों तथा सम्मेलनों और कार्यक्रमों की जानकारी के साथ ही विभिन्न पत्रिकाओं, प्रलेखों एवं अध्ययन रिपोर्टों में सुशासन को मान्यता एवं प्रोत्साहन देता है।
- ➲ अंतर्राष्ट्रीय नवाचार पुरस्कार के द्वारा लोक सेवा क्षेत्र में सुशासन एवं सेवाओं में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले संगठनों में नवाचार की भावना को प्रोत्साहित किया जाता है।

विदेश प्रशिक्षण कार्यक्रम

- ➲ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रयासों के हिस्से के रूप में अन्य देशों के साथ जानकारी हासिल करने और प्रशासनिक अनुभवों का आदान-प्रदान करने की सम्भावना विशेषरूप से ई-शासन और सेवाओं के ऑनलाइन वितरण के क्षेत्र में तलाशी गई है।
- ➲ वर्ष 2016-17 में विभाग ने ई-शासन आधारित नागरिक केंद्रित ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से 'न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन' विषय पर दो लघु अवधि विदेश प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए।
- ➲ ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री विजेताओं/ई शासन पुरस्कार विजेताओं सहित केंद्र और राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों के अधिकारियों के लिए क्रमशः अगस्त 2016 में इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (IPAC), टोरॉन्टो, कनाडा तथा सितम्बर 2016 में PBLQ, दी हेग, नीदरलैंड्स में आयोजित हुए थे।

यूएनडीपी (UNDP) परियोजना

- ➲ पूरे देश में सरकारी ऑनलाइन सेवा वितरण व्यवस्था में बड़े बदलाव करने और बेहतर सेवा वितरण के लिए सरकार द्वारा 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम पर जोर दिए जाने के साथ-साथ प्रशासनिक सुधारों में विभाग की भूमिका में सुधारों के लिए DARPG UNDP को सहयोग प्रदान कर रहा है।

- ➲ संयुक्त राष्ट्र ई-सरकार सर्वेक्षण रिपोर्ट 2018 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र ई-शासन सूचकांक में भारत की स्थिति सुधरी है।

- ➲ भारत की रैंकिंग 96वीं है जबकि 2016 में यह रैंकिंग 107वीं थी।

ई-गवर्नेंस (शासन) पर राष्ट्रीय सम्मेलन

- ➲ DARPG इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ मिलकर राज्य सरकार के सहयोग से 1997 से ही प्रति वर्ष ई-गवर्नेंस (शासन) पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है।
- ➲ यह सम्मेलन राज्य सरकारों के सूचना प्रौद्योगिकी (IT) सचिवों, केंद्रीय सरकार के आईटी प्रबंधकों, संसाधन व्यक्तियों और विशेषज्ञों, उद्योग एवं अकादमिक संस्थानों के बुद्धिजीवियों सहित सरकार के विशिष्ट अधिकारियों के लिए ई-गवर्नेंस (शासन) से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श करने तथा अनुभव साझा करने का मंच उपलब्ध कराता है। अब तक 20 ई-गवर्नेंस (शासन) सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं।
- ➲ DARPG ई-गवर्नेंस (शासन) प्रयासों को लागू करने में उत्कृष्टता को मान्यता देने और प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित श्रेणियों में ऐसे सम्मेलनों में पुरस्कार प्रदान करता है:

महत्वपूर्ण बिन्दु

- ❑ सरकारी प्रक्रिया री-इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता।
- ❑ नागरिक केंद्रित सेवा देने में उत्कृष्ट योगदान।
- ❑ ई-गवर्नेंस में प्रौद्योगिकी का अभिनव उपयोग।
- ❑ वर्तमान परियोजनाओं में वृद्धिप्रक नवाचार।
- ❑ ICT के माध्यम से नागरिक केंद्रित सेवा देने में जिला स्तर का श्रेष्ठ प्रयास
- ❑ ई-गवर्नेंस में मोबाइल प्रौद्योगिकी का अभिनव उपयोग।
- ❑ केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा ICT का अभिनव उपयोग।
- ❑ राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सहकारी समितियों/संगठनों/सोसाइटी द्वारा ICT का अभिनव उपयोग।
- ❑ अकादमिक/अनुसंधान संस्थानों द्वारा उत्कृष्ट ई-गवर्नेंस प्रयास
- ❑ गैर-सरकारी संस्थानों द्वारा विकास के लिए ICT का उपयोग।

ई-ऑफिस परियोजना

- ➲ भूतपूर्व राष्ट्रीय ई-ऑफिस योजना 2006 NEGP 1.0 में चिह्नित 31 मिशन मोड परियोजनाओं में से एक ई-ऑफिस परियोजना है।
- ➲ इसका कार्यान्वयन DAR एंड पीजी द्वारा किया जा रहा है।
- ➲ ई-ऑफिस को वर्तमान डिजिटल इंडिया कार्यक्रम (NEGP 2.0) में शामिल कर लिया गया है।

आधुनिकीकरण योजना

- प्रशासनिक सुधार की समग्र प्रक्रिया के रूप में दिल्ली में स्थित केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों में शाखा तथा अनुभाग स्तर पर आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग द्वारा 1987-88 से ही आधुनिकीकरण योजना को लागू किया जा रहा है।

प्रलेखन और प्रसार

- विभाग का प्रलेखन और प्रसार प्रभाग मूल रूप से राज्यों के केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा बेहतर शासन पहल के अनुभव, एक-दूसरे के साथ अनुभव साझा करने और उसे दोहराने के उद्देश्य से इनके प्रलेखन और प्रसार के कार्य में संलग्न है।
- बेहतर शासन पहल के पेशेवर प्रलेखन के लिए वित्तीय सहायता: योजना का उद्देश्य राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा बेहतर शासन पहल के पेशेवर प्रलेखन तथा प्रसार को बढ़ाने के लिए 3.0 रूपये तक की वित्तीय सहायता देना है। अभी तक 82 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है।
- क्षेत्रीय सम्मेलन सुशासन के तौर तरीकों को तैयार करने और उन्हें लागू करने के अनुभवों को साझा करने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं, बुद्धिजीवियों, मीडिया तथा अन्य संबंधित पक्षों के साथ राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय संगठनों को साथ लाने के उद्देश्य से विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों के साथ मिलकर विशिष्ट विषयों पर क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं।
- मिनिमम गवर्नमेंट-मैक्रिसमम गवर्नेंस: प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग 1969 से सरकार का नियतकालिक जर्नल 'मैनेजमेंट इन गवर्नमेंट' (एमआईजी) प्रकाशित करता है जिसका नाम अब मिनिमम गवर्नमेंट-मैक्रिसम गवर्नेंस' कर दिया गया है।
- जर्नल में उन सर्वश्रेष्ठ प्रयासों का वर्णन होता है जिनमें प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार दिए जाते हैं और नेशनल ई-गवर्नेंस पुरस्कारों तथा 2015 में आई पहली ई-बुक की शुरुआत के बारे में भी इसमें बताया गया है।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

- अवधारणात्मक रूप में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) की भूमिका को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है।
- अपनी वृहद केंद्रीय भूमिका में यह सरकार की नीतियां तैयार करने और ऐसे निगरानी तंत्र के रूप में कार्य करता है जिसका कार्य यह सुनिश्चित करना है कि इसके द्वारा निर्धारित मानक एवं स्वीकृत मानदंडों का पालन सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा अन्य संबंधित विषयों के साथ अपने यहां कार्मिक भत्ता (नियुक्ति), सेवा शर्तों के नियम पद स्थापना (तैनाती)/स्थानांतरण और

प्रतिनियुक्ति करते समय किया जाता है।

- विभाग सभी संस्थानों को कार्मिक प्रबंधन के बारे में परामर्श भी देता है। अधिक तात्कालिक स्तर पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) का प्रत्यक्ष दायित्व भारतीय प्रशासनिक सेवा के साथ ही केंद्रीय सचिवालय में तीन सचिवालय सेवाओं का संवर्ग (केडर) नियंत्रिक प्राधिकारी होना भी है।
- विभाग सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम भी चलाता है जिसके अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं और समूह 'क' केंद्रीय सेवाओं से उपयुक्त अधिकारियों का चयन कर उन्हें उपसचिव, निदेशक और संयुक्त सचिव के रूप में आवधिक नियुक्ति (टेन्योर डेपुटेशन) के आधार पर तैनात करता है।

भर्ती एजेंसियां

- विभाग जिन दो संगठनों के माध्यम से सरकार के कर्मचारियों की भर्ती को सुनिश्चित करता है वे हैं—संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) और कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी)।
- डीओपीटी द्वारा की गई पहल में शामिल हैं:
 - (क) ग्रुप बी और सी पदों के लिए साक्षात्कार पर विराम
 - (ख) जनवरी 2016 से कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) के ग्रुप 'सी' और ग्रुप 'बी' (गैर-राजपत्रित) की सभी भर्तियों के लिए साक्षात्कार को समाप्त कर दिया गया।
 - (ग) OMR आधारित परीक्षा की बजाय कंप्यूटर का चलन
- पारदर्शिता बढ़ाने और भर्ती की संपूर्ण प्रक्रिया में कम समय व्यव करने के लिए सरकार ने एसएससी द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं (सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएम आदि) को पारंपरिक ओएमआर (ऑप्टिकल मार्क रीडर) से कंप्यूटर आधारित मोड में बदल दिया है।
- (घ) एकल पंजीकरण और परीक्षा का टू-टीयर तंत्र
 - सरकार ने ग्रुप 'बी' के गैर-राजपत्रित स्थानों हेतु प्रत्याशी सूची तैयार करने के लिए एक समान योग्यताएं परीक्षाएं आयोजित किए जाने का प्रस्ताव रखा है और एसएससी द्वारा आयोजित टीयर-1 परीक्षा के लिए कंप्यूटर आधारित/ऑनलाइन मोड परीक्षा की पहल की है।
 - नेशनल करियर सर्विस (एनसीएस) पोर्टल के जरिए प्रत्याशियों का समान पंजीकरण किया जाएगा। अंतिम चुनाव भर्ती एजेंसियों द्वारा अपने स्तर पर आयोजित विशिष्ट टीयर-2 परीक्षा के आधार पर किया जाएगा।
- जून 2016 से भर्ती एजेंसियां प्रत्याशियों द्वारा नियुक्ति के लिए अस्थायी तौर पर मान्य स्व-प्रमाणीकृत आधारित पत्र जारी कर रही हैं।

- इसके आधार पर नियुक्ति पुख्ता करने के लिए छह माह के भीतर पुलिस जांच करानी आवश्यक होती है ताकि नागरिकों में विश्वास मजबूत हो और पुलिस जांच के कारण कार्य में न्यूनतम विलंब हो।

(ड) दिव्यांग जन की भर्तियों में तेजी

- दिव्यांग जन को बराबर के अवसर उपलब्ध कराने के लिए मई 2015 को विशेष भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत की गई।

- इसके जरिए केंद्र सरकार में दिव्यांग जन के लिए 15,694 भर्ती स्थानों में से 13,492 भर्तियां की जा चुकी हैं।

(च) पूर्व-सैनिकों को आरक्षण लाभ

- इससे पहले पूर्व सैनिकों असैनिक रोजगार का एक अवसर प्रदान किया जाता था।

- नए आदेशों के अनुसार किसी भी असैनिक रोजगार से जुड़ने से पहले उह्ये अपनी पसंद का ओहदा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

(छ) प्रशासन में नागरिक केंद्रीयता

- नागरिकों को आसानी से सूचना प्राप्त करने के लिए आरटीआई के ऑनलाइन पोर्टल को सीआईसी से पंजीकृत सभी नागरिक प्राधिकारी वर्ग को जोड़ा गया है। सभी नागरिक प्राधिकारी वर्ग इसमें पंक्तिबद्ध तरीके से जोड़ा गया है।

(ज) उच्च पद नियुक्ति व्यवस्था

- यह सुनिश्चित किया गया है कि उच्च पदों पर नियुक्तियां योग्यता और निष्ठा के आधार पर हों।

- संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के पदों पर विभिन्न स्रोत से प्रतिपुष्टि को भी सम्मिलित किया गया है।

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड्स के चुनाव के लिए बैंकस बोर्ड ब्यूरो का गठन किया गया है।

(झ) भ्रष्टाचार विरोधी नीतियां

- भारत सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ 'शून्य सहिष्णुता' की नीति का पालन करती है।

- 'मिनिमम गवर्नमेंट मैक्रिस्मम गवर्नेंस' का आधारभूत लक्ष्य तभी प्राप्त हो सकता है जबकि सरकार और उसकी एजेंसियां जन केंद्रित, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त माहौल में काम करें। इन लक्ष्यों की ओर दंगात्मक कदम उठाए गए हैं।

(ज) अवधिपूर्व सेवानिवृत्ति की गहन पड़ताल

- अकर्मण्य, बेअसर और संदिग्ध छवि वाले अफसरों को निकालने के लिए, नियम एफआर 56 जे के अंतर्गत सभी सरकारी कर्मचारियों के रिकॉर्ड और अन्य संबंधित प्रावधानों की गहन पड़ताल की गई है।

- सेवा रिकार्ड की विस्तृत पड़ताल के बाद जिन अफसरों के खिलाफ लगातार शिकायत और मामले प्राप्त हुए, ऐसी संदिग्ध

छवि वाले अफसरों को अनिवार्य तौर पर सेवानिवृत्त करने से जुड़े निर्णय भी लिए गए।

प्रशासनिक सुधार आयोग

- दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) का गठन 2005 में हुआ था। इसका कार्य जन प्रशासनिक के जांच आयोग के तौर पर था।

यह सरकार को विचार हेतु 15 रिपोर्ट प्रस्तुत करता है:

रिपोर्ट
1. सूचना का अधिकार: कुशल प्रशासन की कुंजी।
2. अनलॉकिंग ह्यूमन केपिटल, एनटाइटलमेंट्स एंड गवर्नेंस ए केस स्टडी,
3. क्राइसिस मैनेजमेंट: फ्रॉम डेस्पेरेशन टू होप,
4. एथिक्स इन गवर्नेंस,
5. पब्लिक ऑर्डर: जस्टिस फॉर ईच.....पीस फॉर ऑल
6. लोकल गवर्नेंस
7. केपेसिटी बिल्डिंग फॉर कन्फिलक्ट रेजोल्यूशन-फ्रिक्शन टू प्यूजन
8. कॉम्बेटिंग टेररिज्म
9. सोशल केपिटल ए शेयर्ड डेस्टीनी,
10. रीफर्बिंशिंग ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन - द हार्ट ऑफ गवर्नेंस,
13. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
14. स्ट्रेनेजिंग फाइनेशियल मैनेजमेंट सिस्टम
15. राज्य एवं जिला प्रशासन।

- केंद्र सरकार ने 15 में से 14 रिपोर्टों पर विचार किया है और दूसरी ARC की सिफारिशों पर कार्रवाइयां विभिन्न चरणों में हैं।

सूचना का अधिकार

- नागरिकों को सशक्त बनाने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने, सरकार की प्रणाली को जवाबदेह बनाने भ्रष्टाचार रोकने और वास्तविक लोकतंत्र के अर्थों में लोगों के लिए कार्य करने के विचार से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 बनाया गया है।
- अधिनियम का उद्देश्य सूचना से लैस नागरिक तैयार करना है जो शासन के विभिन्न अंगों पर आवश्यक सतर्कता बनाने के लिए बेहतर तरीके से सक्षम होंगे।
- अधिनियम सभी नागरिकों को किसी भी प्राधिकरण, निकाय या स्वशासित संस्था या संविधान द्वारा या संविधान के अंतर्गत गठित सरकार संसद द्वारा या राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून; या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना या आदेश को रोकने पर सूचना पाने का अधिकार देता है।

सूचना के अधिकार में शामिल हैं-

- कार्य निरीक्षण, प्रलेख और रिकॉर्ड
- नोट लेना
- प्रलेखों या रिकॉर्ड का सार या प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करना, लोक प्राधिकार
- लोक प्राधिकार नियंत्रक द्वारा रोकी गई सामग्री प्रमाणित नूमने लेना।
- इसमें किसी खास समय में लागू कानून के तहत लोक प्राधिकार की पहुंच वाली निजी संस्था से संबंधित सूचना शामिल है।
- सूचना के कुछ वर्ग ऐसे भी हैं जिन्हें अपने आप ही लोक प्राधिकार को प्रकाशित करना होता है।
- जो भी सरकार के किसी कार्यालय से कोई सूचना चाहता है उसे कार्यालय के जन सूचना अधिकारी को एक अनुरोध करना पड़ता है।
- अनुरोध में केवल सूचना और जिस पते पर सूचना मांगी गई है उसे दर्शाना होता है।
- अनुरोध डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है।
- यह अनुरोध हिंदी या अंग्रेजी या फिर उस क्षेत्र की राजकीय भाषा में किया जा सकता है और ई-मेल के जरिए भी भेजा जा सकता है।
- यदि आवेदक को 30 दिनों के भीतर सूचना प्राप्त नहीं होती है या वह प्रांत उत्तर से संतुष्ट नहीं होता तो वह 30 दिनों के भीतर प्राधिकरण द्वारा नियुक्त अपीलीय अधिकारी के पास, जो जन सूचना अधिकारी से वरिष्ठ होता है, अपील कर सकता है।
- केंद्रीय सूचना आयोग/राज्य सूचना आयोग अधिनियम द्वारा सृजित उच्चाधिकार प्राप्त स्वतंत्र संस्थाएं हैं।
- इन आयोगों को चूक करने वाले जन सूचना अधिकारियों पर दंड लगाने का अधिकार है।
- कानून काफी विस्तृत है और शासन के लगभग सभी स्तरों को शामिल करता है।
- यह ना केवल केंद्र/राज्य स्थानीय सरकारों के लिए लागू है बल्कि सरकारी अनुदान पानेवालों पर भी लागू होता है।

राजभाषा

- ⌚ संविधान के अनुच्छेद-343(1) के अनुसार, हिंदी देवनागरी लिपि में केंद्र की राजभाषा होगी।
- ⌚ अनुच्छेद-343 (2) में शासकीय कार्य में अंग्रेजी के उपयोग को संविधान के लागू होने के बाद से वर्ष, अर्थात् 25 जनवरी, 1965 तक जारी रखने का भी प्रावधान किया गया था।

- ⌚ अनुच्छेद 343 (3) में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह कानून बनाकर सरकारी कार्यों के लिए अंग्रेजी के निरंतर प्रयोग को 25 जनवरी, 1965 के बाद भी जारी रख सकती है।
- ⌚ तदनुसार राजभाषा अधिनियम, 1963 (1967 में संशोधित) की धारा 3(2) में यह व्यवस्था की गई है कि हिंदी के अलावा, अंग्रेजी भाषा सरकारी कामकाज के लिए 25 जनवरी, 1965 के बाद भी जारी रहेगी।

राजभाषा नीति की विशेषताएं

- केंद्र सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी नियमावलियाँ, सहिताएं तथा प्रक्रिया संबंधी साहित्य हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों में तैयार कराए जाएंगे। सभी प्रपत्र पत्रिकाओं (रजिस्टरों) के शीर्ष, नामपट, सूचना पटल तथा स्टेशनरी की वस्तुएं हिंदी और अंग्रेजी में होंगी।
- अधिनियम की धारा 3(3) में उल्लिखित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह देखे कि ये दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जारी हों।

अंतर्राज्यीय परिषद

- ⌚ संविधान के अनुच्छेद-263 में अंतर्राज्यीय परिषद् की स्थापना का प्रावधान है।
- ⌚ केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों का अनुसरण करते हुए 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था।
- ⌚ अंतर्राज्यीय परिषद एक अनुसंसात्मक इकाई है और उसे ऐसे विषयों की जांच और चर्चा के लिए अधिकार दिए गए हैं।
- ⌚ जिनमें कुछ या सभी राज्यों या केंद्र और एक या एक से अधिक राज्यों का समान हित जुड़ा हो।

क्षेत्रीय परिषदें

- ⌚ राज्य पुर्नांगन अधिनियम, 1956 के भाग-3 के अनुसार 5 क्षेत्रीय परिषदों यथा, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद तथा दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की गई थी।
- ⌚ इनके उद्देश्य हैं—राष्ट्रीय एकीकरण; तीव्र राज्य चेतना, क्षेत्रवाद, भाषाई एवं पक्षपाती प्रवृत्तियों को रोकना; केंद्र और राज्यों में सहयोग तथा विचारों के आदान-प्रदान को सक्रिय बनाना तथा विकास योजनाओं के त्वरित तथा सफल कार्यान्वयन हेतु राज्यों में परस्पर सहयोग के वातावरण का निर्माण।

क्षेत्रीय परिषदों की रचना

क्षेत्रीय परिषद् सदस्य	राज्यों/केंद्रशासित प्रदेश
उत्तरी क्षेत्रीय परिषद	<input type="checkbox"/> हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़।
मध्य क्षेत्रीय परिषद	<input type="checkbox"/> उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश
पूर्वी क्षेत्रीय परिषद	<input type="checkbox"/> बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल तथा ओडिशा
पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद	<input type="checkbox"/> गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा तथा केंद्रशासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव

कार्यपालिका

राज्यपाल

- ⇒ राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद् होती है।
- ⇒ राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि के लिए करते हैं।
- ⇒ 35 वर्ष से अधिक आयु वाले भारतीय नागरिक को ही इस पद पर नियुक्त किया जा सकता है। राज्य की कार्यपालिका के सारे अधिकार राज्यपाल में निहित होते हैं।
- ⇒ मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद् राज्यपाल को उनके कार्यों में सलाह-सहायता देती है—सिवाय उन मामलों के जहां संविधान के तहत उन्हें कुछ कार्य अपने विवेक से भी करना होता है।
- ⇒ नागालैंड के मामले में संविधान के अनुच्छेद-371 क के अंतर्गत राज्यपाल को कानून-व्यवस्था के बारे में विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है।
- ⇒ इसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश के मामले में संविधान के अनुच्छेद-371 ज के अधीन कानून-व्यवस्था तथा इससे संबंधित कार्यों को निपटाने में राज्यपाल का विशेष दायित्व है।

विधान परिषद् एवं विधानसभा की तुलना

विधानपरिषद्	विधानसभा
<input type="checkbox"/> विधानपरिषद् राज्य विधानमंडल का उच्च सदन अथवा द्वितीय सदन होता है।	<input type="checkbox"/> विधानसभा राज्य विधानमंडल का निम्न सदन अथवा प्रथम सदन होता है।
<input type="checkbox"/> विधानपरिषद् के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर होता है।	<input type="checkbox"/> विधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से पूर्व वयस्क मताधिकार के आधार पर साधारण बहुमत की पद्धति द्वारा होता है।
<input type="checkbox"/> विधानपरिषद् एक स्थाई निकाय है जिसका विघटन नहीं किया जा सकता परंतु 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं तथा उनके स्थान पर नए सदस्य निर्वाचित हो जाते हैं इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है।	<input type="checkbox"/> विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है परंतु कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल द्वारा इसे भंग किया जा सकता है।
<input type="checkbox"/> विधानपरिषद् राज्य के कुछ विशेष वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है।	<input type="checkbox"/> विधानसभा समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करती है।
<input type="checkbox"/> विधानपरिषद् के सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या की एक तिहाई होती है, परंतु वह 40 से कम किसी अवस्था में नहीं हो सकती।	<input type="checkbox"/> विधान सभा के सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 500 तथा कम से कम 60 हो सकती है।
<input type="checkbox"/> राज्य मंत्रिपरिषद् के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। विधानपरिषद् में मंत्रिपरिषद् के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उसे पदच्युत नहीं किया जा सकता।	<input type="checkbox"/> राज्य की मंत्रिपरिषद् विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
<input type="checkbox"/> धन विधेयक विधानपरिषद् में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता।	<input type="checkbox"/> धन विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है।

- ➲ राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श के कार्रवाई के संबंध में अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे।
- ➲ सिक्किम के राज्यपाल को राज्य में शांति तथा जनता के विभिन्न वर्गों के लोगों की सामाजिक और आर्थिक उन्नति का विशेष उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

मंत्रिपरिषद्

- ➲ मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है तथा मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है।
- ➲ मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

विधानमंडल

- ➲ प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होता है, जिसके अंतर्गत राज्यपाल के अतिरिक्त एक या दो सदन होते हैं।
- ➲ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में विधानमंडल के दो सदन हैं, जिन्हें विधान परिषद् और विधानसभा कहते हैं।

केंद्रशासित प्रदेश

- ➲ केंद्रशासित प्रदेश का शासन राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है और वह इस बारे में जहां तक उचित समझे, अपने द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से कार्य करते हैं।
- ➲ अंडमान-निकोबार, दिल्ली और पुदुच्चेरी के प्रशासकों को उप राज्यपाल कहा जाता है, जबकि चंडीगढ़ का प्रशासक मुख्य आयुक्त कहलाता है।
- ➲ इस समय पंजाब का राज्यपाल ही चंडीगढ़ का प्रशासक है। दादरा और नगर हवेली का प्रशासक दमन और दीव का भी कार्य देखता है।
- ➲ लक्ष्मीप का अलग प्रशासक है।
- ➲ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्रशासित प्रदेश पुद्डेचेरी की अपनी-अपनी विधानसभाएं और मंत्रिपरिषद् हैं।

स्थानीय प्रशासन

नगरपालिकाएं

- ➲ भारत में स्थानीय निकायों का लम्बा इतिहास है। सर्वप्रथम पूर्व-प्रेसिडेंसी शहर मद्रास में नगर निगम की स्थापना 1688 में की गई।
- ➲ उसके बाद 1726 में इसी तरह के नगर निगम मुंबई और कोलकाता (तत्कालीन बम्बई और कलकत्ता) में स्थापित किए गए।
- ➲ भारतीय संविधान में संसद और विधानसभाओं में लोकतंत्र की

रक्षा की विस्तृत व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन संविधान में शहरी क्षेत्रों के लिए स्थानीय प्रशासन को स्पष्ट रूप से संवैधानिक दायित्व नहीं दिया गया है।

- ➲ राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में गांवों में पंचायत व्यवस्था का उल्लेख है।
- ➲ लेकिन राज्यों की सूची में प्रविष्टि 5 को छोड़कर, नगरपालिकाओं का कोई जिक्र नहीं किया गया है।
- ➲ स्थानीय शहरी निकायों के लिए समान ढांचा तैयार करने और निकायों को स्वायत्तशासी सरकार की प्रभावशाली लोकतांत्रिक इकाई के रूप में मजबूत बनाने के कार्य में मदद करने के उद्देश्य से संसद ने 1992 में (नगरपालिका एक्ट) नगरपालिकाओं से संबंधित संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम 1922 पारित किया।
- ➲ यह अधिनियम, 1993 में अमल में लाया गया।
- ➲ भारत सरकार ने अधिसूचना जारी करके 1 जून, 1993 से इस अधिनियम को लागू कर दिया संविधान में नगरपालिकाओं के संबंध में एक नया खंड IX-क तथा अनुसूची 12 जोड़ी गई ताकि अन्य बातों के अलावा तीन प्रकार की नगरपालिकाओं का गठन किया जा सके।

पंचायतें

- ➲ संविधान के अनुच्छेद-40 में दिए गए नीति-निर्देशक सिद्धांतों में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए आवश्यक कदम उठाएगा और उन्हें इस प्रकार के अधिकार प्रदान करेगा कि वे एक स्वायत्तशासी सरकार की इकाई के रूप में कार्य कर सकें।
- ➲ उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए संविधान में पंचायतों से संबंधित एक नया खंड (IX) और जोड़ी गयी है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, निम्न व्यवस्था भी की गई है-
 - गांव अथवा गांवों के समूह में ग्राम सभा,
 - ग्राम और अन्य स्तरों या स्तर पर पंचायतों का गठन,
 - ग्राम और उसके बीच के स्तर पर पंचायतों की सभी सीटों के लिए और इन स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्षों का सीधा चुनाव,
 - ऐसे स्तरों पर पंचायत सदस्यों और पंचायत-अध्यक्षों के पदों के लिए जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण।
 - महिलाओं के लिए कम-से-कम 1/3 आरक्षण।
- ➲ पंचायत के लिए 5 साल के कार्यकाल का निर्धारण करना और किसी भी पंचायत की बर्खास्तगी की स्थिति में 6 महीने के भीतर उसका चुनाव कराना।



परीक्षा उपयोगी प्रश्न

1. राज्य के नीति निदेशक तत्वों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
 1. नीति निदेशक तत्व राज्य के लिए निर्देशों की एक शृंखला है। राज्य की अपेक्षा की जाती है वह विधि निर्माण के समय इन सिद्धांतों का पालन करेगा।
 2. नीति निदेशक तत्वों के संबंध में भाग-4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक प्रावधान है।
 3. इन्हें न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं-
 - (a) केवल 1
 - (b) केवल 2
 - (c) 2 व 3
 - (d) 1, 2 व 3
 2. किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों का भारतीय संविधान में समावेश किया गया था?
 - (a) 35वाँ संविधान संशोधन
 - (b) 42वाँ संविधान संशोधन
 - (c) 63वाँ संविधान संशोधन
 - (d) 93वाँ संविधान संशोधन
 3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
 1. भारतीय संविधान के भाग-2 में अनुच्छेद 5-11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान हैं।
 2. नागरिकता एक संघीय विषय है जिस पर राज्य सरकारों को कार्य करने को कोई अधिकार नहीं है।
 3. यदि कोई व्यक्ति दर्शन कला, साहित्य, विश्वशान्ति या मानवविकास के क्षेत्र में विशेष कार्य कर चुका हो और वह संविधान में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा न करता हो तो भी उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है।
 उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं-
 - (a) 1 व 2
 - (b) 2 व 3
 - (c) केवल 2
 - (d) 1, 2 व 3
 4. औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग किस मंत्रालय के अधीन होता है-
 - (a) गृह मंत्रालय
 - (b) वित्त मंत्रालय
 - (c) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
 - (d) विदेश मंत्रालय
 5. साइबर अपीलीय अधिकरण के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
 1. इसका गठन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 के तहत किया गया है।
 2. प्रमाणीकरण प्राधिकरणों के नियंत्रक से अथवा अधिनियम

के न्याय क्षेत्र से संबंधित अधिकारी से असंतुष्ट कोई व्यक्ति साइबर अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील कर सकता है।

- यह अधिकरण एक बहुसदस्यीय अधिकरण है।
 - यदि कोई व्यक्ति इसके निर्णय से असंतुष्ट होता है तो वह केवल सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं-

6. राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए—

1. भारतीय संविधान के भाग (5) के अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका उल्लेख है।
 2. नीति निदेशक तत्व भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लेखित अनुदेशों के समान है।
 3. संविधान में इनका समावेश आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है।

सही कथन का चयन कीजिए—

- (a) केवल 1 और 2
 - (b) केवल 1 और 3
 - (c) केवल 2 और 3
 - (d) तीनों सही हैं।

7. निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा गलत है-

- (a) मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य आयुक्तों को समान अधिकार दिए गए हैं परंतु उनकी परिलिंग्धियों में अंतर होता है।

- (b) चुनाव आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान वेतन प्राप्त होता है।

(c) मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी आधार पर पदमुक्त किया जा सकता है जिस आधार पर एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।

- (d) अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के बिना नहीं हटाया जा सकता है।

8. पौलिक अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित अनुच्छेदों पर विचार कीजिए—

- इनमें से कौन-सा/से अल्पसंख्यकों के हितों को संदर्भित है-
- केवल 1, 2 और 3
 - 1, 3 और 4
 - केवल 2, 3 और 4
 - केवल 3 और 4
9. वित्त आयोग के विषय में इन कथनों पर विचार कीजिए-
- संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत एक अर्द्ध न्यायिक निकाय के रूप में इसका गठन किया गया है।
 - आयोग के सदस्यों की नियुक्ति द्वारा वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाले निर्वाचक मंडल की संस्तुति से की जाती है।
 - वित्त आयोग भारत की समेकित निधि से राज्यों को राजस्व की सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा कर सकता है।
 - संविधान आयोग की सिफारिशों के प्रति भारत सरकार के दायित्वों के संबंध में मौन है।
- सही कथन का चयन कीजिए-
- 1, 2 व 3
 - 1, 3 व 4
 - 2, 3 व 4
 - 1, 2, 3 व 4
10. निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए।
- भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण का कार्य योजना आयोग का है।
 - पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता है।
 - प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ के समय 1951 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था।
 - परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं।
11. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
- भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 213 से 231 तक उच्च न्यायालयों के विषय में प्रावधान हैं।
 - उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल व उच्च न्यायालय के मुख्य

- न्यायाधीश की स्वीकृति से की जाती है।
- सर्वोच्च न्यायालय की भाँति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा पूर्ण बहुमत से पास करना आवश्यक है।
- सही उत्तर का चयन कीजिए-
- केवल 1
 - केवल 2
 - 1 और 3
 - 2 और 3
12. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32) के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए-
- संवैधानिक उपचारों के अधिकार का प्रयोग कार्यपालिका आदेश या विधायिका की संवैधानिकता का निर्धारण करने के लिए भी किया जा सकता है।
 - उच्चतम न्यायालय का रिट संबंधी न्यायिक अधिकार उच्च न्यायालयों से कम विस्तृत है।
- गलत कथन का चयन कीजिए-
- केवल 1
 - केवल 2
 - 1 और 2 दोनों
 - इनमें से कोई नहीं
13. संविधान का कौन-सा संशोधन पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी और निजी क्षेत्रों में आरक्षण का प्रावधान करता है?
- 45वाँ संविधान संशोधन
 - 52वाँ संविधान संशोधन
 - 73वाँ संविधान संशोधन
 - 93वाँ संविधान संशोधन
14. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
- राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के किसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकते हैं और पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य होते हैं।
 - मामले को पुनर्विचार हेतु लौटाने का उपबंध 44वाँ संविधान संशोधन द्वारा पुरास्थापित किया गया।
- इनमें से सही कथन का चयन कीजिए-
- केवल 1
 - केवल 2
 - 1 और 2 दोनों
 - इनमें से कोई नहीं

Answer Key:-

- | | | | |
|---------|---------|--------|--------|
| 1. (d) | 2. (b) | 3.(d) | 4.(c) |
| 6. (c) | 7. (a) | 8.(d) | 9.(d) |
| 11. (b) | 12. (d) | 13.(d) | 10.(c) |
| 14.(c) | | | |